शोध मंथन Vol. XIII No.II Apr.-June 2022 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 8.783 (SJIF)

सशक्त नारीः सशक्त भारत

प्राप्तिः 19.05.2022
स्वीकृतः 04.06.2022

38

डा० सुमन शर्मा
प्रोफेसर
इन्स्टीट्यूट ऑफ टीचर ऐजुकेशन
कादराबाद, मोदीनगर
ईमेलः *sumansharmaite@gmail.com*

सारांश

नारी सशक्तिकरण आज के युग की मांग है स्त्री मुक्ति का जो नारा पश्चिम से आया है यह कि प्रासंगिक अभिव्यक्ति है। भारत को भी बदलते विश्व के साथ कदम–से–कदम मिलाकर चलना होगा। यद्यपि प्रकृति ने स्त्री को शारीरिक दृष्टि से दुर्बल बनाया है और उसकी यही सीमा उस पर होने वाले अत्याचारों के मूल में है तथापि एक जागरूक, सुशिक्षिता और अपने उत्तरदायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने में सक्षम महिला आज किसी भी दृष्टि से पुरूष से कम नहीं दिखायी देती। जब तक भारत की स्त्री शक्ति का हनन करने वाले कारण समाज में विद्यमान है तब तक सच्चे अर्थों में भारत का विकास नहीं हो सकता। स्त्री संतानों की उपलब्धि का यंत्र, वंश वृद्धि का उपकरण और मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि वह तो देवी गरिमा से युक्त संसार का एक आदरणीय प्राणी है।

अशिक्षा, भ्रूण हत्या, पुरूषों की संकीर्ण मानसिकता, शोषण, अमानवीयता, स्त्री–पुरूष असमानता, बेमेल विवाह, दहेज प्रथा, बाल–विवाह, सती प्रथा, सामाजिक बंदिशें, स्त्री के प्रति शास्त्रों का उपेक्षित रवैया, कुपोषण, शारीरिक हिंसा इत्यादि अनेक रूकावटें हैं। जो स्त्री सशक्तिकरण के मार्ग में सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी हैं। यदि हमें मां, बहन, बेटी, पत्नी, प्रेमिका तथा अन्य पवित्र सम्बन्धों के रूप में स्त्री का सुख लेना है तो हमें उसे समानता का दर्जा देते हुए सशक्त बनाना होगा।

आज की नारी स्वतंत्र है। सत्ता की कुर्सी है। खेल का मैदान, वैज्ञानिक अनुसंधानों की प्रयोगशाला है या कला साहित्य का संसार, परिवार की कर्णधार हो या पायलेट, आज नारी के लिए प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा खुले हुए हैं। भारत सहित विश्व के कई राष्ट्रों में आज नारी को समुचित स्थान प्राप्त है। विकासशील देशों में गरीबी, भूख, उपेक्षा, अस्वस्थता आदि बुराइयों के विरूद्ध संघर्ष करने में पुरूषों के साथ स्त्री के सहयोग की आवश्यकता निरन्तर अनुभव की जा रही है। वस्तुतः स्वतंत्र और कर्मठ नारी ही इक्सवीं सदी की सबसे बड़ी देन है। बगैर नारी के मानव समाज की कल्पना अर्थहीन है। आज की नारियां घर के सीमित कार्य क्षेत्र को छोड़कर समाज सेवा की ओर बढ़ रही हैं। उनके हृदय में सामाजिक चेतना उत्पन्न हो रही है। इतिहास साक्षी है कि जब–जब समाज या राष्ट्र ने नारी को अवसर तथा अधिकार दिया है तब तब नारी ने विष्व के समक्ष श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत

किये हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं ने अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए अत्मोन्नयन के साथ राष्ट्रोन्नयन का मूर्त रूप प्रदान किया है।

संसार एक रंगमंच है। जिसके अभिनेता स्त्री और पुरूष दोनों हैं। देश के निर्माण में पुरूषों के साथ स्त्रियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्राचीन भारत के इतिहास के पृष्ठ भारतीय महिलाओं की गौरव गाथा से भरे हुए हैं। 'मनुस्मृति' में कहा गया है–

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।

अर्थात् जहां नारी की पूजा की जाती है वहां देवता निवास करते हैं। अतीतकाल में नारियों को पुरूष के समान अधिकार प्राप्त थे। इतिहास साक्षी है कि जब रामचन्द्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ किया तो उन्होने सीता के वनवास के कारण उनकी स्वर्ण प्रतिमा रखकर यज्ञ की पूर्ति की। देवासुर संग्राम में कैकयी ने अपने अद्वितीय कौशल से महाराज दशरथ को भी चकित किया। अपनी योग्यता, विद्वता तथा विवेक बुद्धि के बल पर द्रौपदी अपने पतियों को वनवासकाल और युद्धकाल में सत्परामर्श से प्रेरित करती थी। पति चुनने का अधिकार उन्हें प्राप्त था। कैकयी, शकुन्तला, सीता, अनसूया, दमयन्ती, सावित्री आदि स्त्रियां इनके ज्वलन्त उदाहरण हैं।

समय के परिवर्तन के साथ स्त्रियों की स्थिति में भी परिवर्तन हो गया। प्रेम, बलिदान तथा सर्वस्य, समर्पण ही स्त्रियों के लिए विष बन गया। समाज की घृणित विचारधारा ने उनका क्षेत्र केवल घर की चारदीवारियों में बंद कर दिया। पर्दाप्रथा प्रारम्भ हुई। स्त्री को शिक्षा प्राप्त करने से वंचित कर दिया गया। आदर्शवादी एवं समाज सुधारक गोस्वामी तुलसीदास ने नारी की इस स्थिति का चित्रण इन शब्दों में किया है–

क्त विधि सूजीं नारि जग माहीं। पराधीन सपनेहुं सुख नाही।

नारी के प्रेम के वषीभूत होकर स्वयं को पुरूष के चरणों में समर्पित कर दिया किन्तु निर्दयी पुरूष ने उसे बन्धनों में पकड़ लिया। वह सामाजिक प्रताड़नाओं को मूक पशु के समान सहन करती रही। पर्दा प्रथा, अनमेल विवाह, उत्तराधिकार से वंचित रखा जाना तथा आर्थिक, समाजिक कुरीतियों ने पराधीन भारत में नारियों को इतना दीन हीन बना दिया कि वह अपने अस्तित्व को ही भूल गयी। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने नारी की इस दशा का वर्णन इन पंक्तियों में किया है –

अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी।
आंचल में है दूध आंखों में पानी।।

लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इसके सख्त खिलाफ थे। वे कहते थे ''स्त्री को अबला कहना उसे बदनाम करना एक पाप है। वह अगर आघात करने में निर्बल है तो कष्ट सहने में उतनी ही बलवान है।'' विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि यदि महिलाएं शारीरिक रूप से पुरूष की तुलना में कमजोर होती है तो जैविक रूप से वे पुरूष से अधिक मजबूत होती हैं उनमें प्रतिरोधक क्षमता का विकास अधिक होता है। महिलाओं की उपयोगिता के सम्बन्ध में स्वामी विवेकानन्द की उक्ति कि – जब तक नारी की दशा को सुधारा नहीं जाता तब तक विश्व का कल्याण सम्भव नहीं। क्या एक पंख में उड़ पाना पक्षी के लिए सम्भव है? महर्षि दयानन्द जी ने स्त्री शिक्षा और समाज में स्त्रियों की समान स्थिति का प्रबल रूप से प्रतिपादन किया है। अथर्ववेद में मन्त्र ''ब्रहमचर्यन कन्या चुन्यत विन्दते पवित्र'' को उदघृत युवती के साथ विवाह करते है, वैसे ही कन्या

ब्रहमचर्य सेवन से वेदादि शस्त्रों को पढ़कर पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त कर युवावस्था में अपने सादृश प्रिय, विद्वान युवावस्थायुक्त पुरूष को प्राप्त करती है। हमारी सामाजिक व्यवस्था व परम्पराओं ने पहले से ही लड़का व लड़की में भेद किया है। लड़के को जहां कुलदीपक, पारिवारिक समृद्धि, यश व प्रतिष्ठा का प्रतीत समझा जाता है। वही लड़की को पराई सम्पत्ति व दहेज आदि कारणों से बोझ व अभिशाप समझा जाता है। आज परिस्थिति विपरीत है आज की नारी अपने आत्मविश्वास, साहस तथा लगन से पुरूष प्रधान समाज में अस्तित्व बनाये हुए है। समाज के लिए स्त्री का स्वस्थ, खुशहाल, शिक्षित, समझदार, व्यवहार कुशल, बुद्धिमान आदि होना अनेक दृष्किोणों से महत्वपूर्ण है जब उसकी स्वयं की स्थिति सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षिक आदि दृष्टिकोणों में निम्न होगी तो स्वाभाविक है परिवार, समय और राष्ट्र की स्थिति अच्छी नहीं होगी। विकासशील देशों में तो महिलाओं के सहयोग एवं शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। किन्तु भारत में पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं की साक्षरता प्रतिशतता की कमी एक विषमतापूर्ण समाज को जन्म देकर महिलाओं के मूलभूत अधिकारों एवं कर्तव्यों का हनन कर रही है।

नारी सशक्तिकरण में बाधाऐं–

- ब्राहमणवाद ने स्त्री को उपयोग की वस्तु बना दिया। पति की सेवा करना स्त्री का परमोधर्म आदर्श बना दिया जिसके द्वारा मोक्ष तथा स्वर्ग प्राप्त कर सकती थी।
- संयुक्त परिवार प्रणाली के लिए आवश्यक था कि स्त्री उसमें सहयोग करे अथवा उसे इतना दबाकर रखा जाए कि वह आवाज नहीं उठा सके। कन्या को संयुक्त परिवार में कोई अधिकार नहीं था। उसे शिक्षा से वंचित रखा गया, बाल्य काल में विवाह, विधवा को सम्पत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया।
- स्त्रियों की स्थिति के गिरने का मुख्य कारण बाल विवाह रहा है। उसके व्यक्तित्व का विकास होना असम्भव हो गया। वह पुरूष वर्ग की दासी मात्र रह गयी। छोटी उम्र में सन्तानों की जिम्मेदारी ने उन्हें असमर्थ और परिवार पर आश्रित बना दिया।
- कन्यादान की प्रथा स्मृतिकाल तक तो ठीक चलती रही लेकिन उसके बाद उसका स्वरूप बदल गया। बाद में कन्या को दान की वस्तु समझा जाने लगा जिसे विधवा होने पर न तो वापिस लिया जा सकता है तथा न जिसे पुनः दान दिया जा सकता है। दान में प्राप्त करने वाला जैसे चाहे वैसे उसका उपयोग करे।
- बाल विवाह, कुलीन–विवाह अन्तर्विवाह, विधवा पुर्नविवाह पर रोक, दहेज, बहुपत्नी विवाह आदि हिन्दू–विवाह की उल्लेखनीय कुरीतियां हैं जिसके कारण नारी का कन्या, पत्नी और विधवा के रूप में कोई अस्तित्व नहीं रहा। उसे एक भार के रूप में समझा जाने लगा।
- उत्तरवैदिक काल के बाद तथा स्मृति–काल और धर्मशास्त्र–काल से स्त्रियों की स्थिति इतनी गिरती चली गयी कि वह अपनी प्रत्येक आवश्यकता भोजन, वस्त्र और आवास के लिए पूर्ण रूप से पुरूषों पर निर्भर हो गयी। हिन्दू समाज पुरूष प्रधान बनता चला गया तथा स्त्री की स्थिति आर्थिक दृष्टि से खराब हो गयी।
- भारत में मुसलमानों के आगमन और आक्रमण के अनेक प्रभाव पड़े। मुसलमान आक्रमणकारियों में स्त्रियों की कमी थी। सैद्धान्तिक रूप में तो स्त्रियों को अनेक अधिकारों से वंचित

रखा। पर्दा प्रथा शिक्षा पर रोक, बाल–विवाह आदि को व्यावहारिक रूप दे दिया गया। विधवाओं का जीवन नरकमय हो गया।

- जनसंख्या वृद्धि तथा बेरोजगारी भी नारी की स्थिति को खराब करने में सहायक हैं। माता–पिता ने पुत्रियों की अपेक्षा पुत्रों को शिक्षा देना ही अधिक उपयुक्त समझा गया। ऐसी विचारधारा है परिवार में कि कन्या को पढाने के बाद भी दहेज के साथ विदा करना है।
- नारी पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण उनके द्वारा किया जाने वाला समय का अपव्यय भी है। प्रायः स्त्रियां अपने प्रतिदिन के कार्यो से निवृत्त होकर शेष समय बेकार की बातों में व्यतीत करती हैं।
- पिछड़ी जाति व जनजातियों, जो जंगलों में निवास करती हैं वे अत्यधिक दरिद्र होने से पढ़ाई पर खर्च करना ठीक नहीं समझते फिजूल खर्च समझते हैं।
- विवाह से सम्बन्धी निषेध जैसे–अर्न्त–विवाह तथा कुलीन विवाह ने माता–पिता के लिए योग्य वर प्राप्त करने का क्षेत्र बहुत सीमित कर दिया जिसका परिणाम अधिक दहेज की प्राथमिकता, बेमेल विवाह, बाल विवाह तथा विधवा विवाह को ओर उग्र बना दिया गया।
- समाज में स्त्रियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। बाल–विवाह तथा पर्दा प्रथा के फलस्वरूप घर से बाहर जाकर कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थी। बहुपत्नी विवाह सम्पन्न परिवारों में प्रचलित थे। स्त्री को उनके साथ सामंजस्य करके रहना पड़ता था।
- राजनीतिक क्षेत्र में सन 1919 तक स्त्रियों को वोट देने का अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं था। स्त्री किसी भी राजनैतिक कार्य में भाग नहीं ले सकती थी।

नारी सशक्तिकरणः निवारण

भारतवर्ष में स्त्री–सुधार आन्दोलन को प्रारम्भ करने का श्रेय राजा राममोहन राय (1772–1883) को जाता है। आपने सन् 1828 में ब्रहम समाज की स्थापना स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए की थी। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर भी एक बड़े समाज सुधारक हुए है। आपने सन् 1885 से 1858 के बीच 40 कन्या विद्यालय खोले। आपका मानना था कि जब तक स्त्रियां शिक्षित नहीं होगी तब तक इनका विकास नही हो सकता। स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए विधवा–विवाह पुनः प्रारम्भ करने के लिए आन्दोलन किया। भारत में स्त्री आन्दोलन को प्रभावशाली बनाने में मारग्रेट नोबल, ऐनी बीसेण्ट तथा मारग्रेट कुशनस् का विशेष योगदान रहा। 'भारतीय महिला समिति', 1917 में मद्रास में स्थापित की गयी। सन् 1927 में 'अखिल भारतीय महिला सम्मेलन' पूना में हुआ जिसमें स्त्री–शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रयास किये गये। भारत में महिलाओं की स्थिति के अध्ययन समय–समय पर गैर–सरकारी संगठनों द्वारा होते रहे है। सरकार ने 1971 में इसी काम के लिए 'कमेटी ऑफ स्टेस ऑफ इन इण्डिया' गठित की थी।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8–3–1997) तथा भारत की स्वतंत्रता का 50 वां वर्ष ''महिलाओं को शक्ति सम्पन्न बनाने की ओर'' शीर्षक के अन्तर्गत, महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत में महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए किये गये।

महिलाओं की प्रगति एवं सशक्तिकरण हेतु भारत जैसे लोक कल्याणकारी राष्ट्र जिसका आधार सामाजिक न्याय है के संविधान, जो हमारी सर्वोच्च निधि है, के विभिन्न अनुच्छेदों में नारी

अधिकारों का प्रावधान है। इनमें से अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार, अनुच्छेद 15 में धर्म मूलवंश, जाति, लिंग जन्मस्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17, 19 में महिला समानता, अनुच्छेद 23, 24 शोषण के विरूद्ध अधिकार, अनुच्छेद 39 जीवन निर्वहन एवं समान कार्य हेतु समान वेतन, अनुच्छेद 41 में नारी को काम व शिक्षा का अधिकार तथा बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी या अपाहिज होने की अवस्था में सुरक्षा प्राप्ति, अनुच्छेद 42 में प्रसूति काल में राहत, अनुच्छेद 43 में मजदूरों (महिला एवं पुरूष दोनों) को जीने हेतु अच्छा वेतन, अनुच्छेद 44 में समान दीवानी संहिता, अनुच्छेद 325 में समान मतदान अधिकार आदि प्रमुख है।

अप्रैल 1993 में भारतीय संविधान में 73 वां व 74 वां संशोधन करके महिलाओं को पंचायतों तथा नगर निकायों में एक तिहाई स्थान आरक्षित करके मूल स्तर पर राजनीतिक सत्ता में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर दी गयी। भारत सरकार ने भी समय–समय पर महिला सशक्तिकरण हेतु अनेक योजनाओं का संचालन कर नये युग का शुभारम्भ कर दिया है। इन कार्यों के तहत 8 मार्च को 1975 से अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।

भारतीय नारी उत्थान प्रक्रिया के इसी कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2000 को विशेष महिला वर्ष मनाने के बाद भारत में नारी उत्थान को विशेष महत्व देते हुए वर्ष 2001 को ''महिला सशक्तिकरण वर्ष'' के रूप में मनाया गया। महिला सशक्तिकरण वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा देश में पहली बार एक ''राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति'' बनायी गयी ताकि देश में महिलाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्थान और समुचित विकास की आधारभूत व्यवस्थाएं निर्धारित किया जाना सम्भव हो सके। शाह बानों मामले में मुस्लिम कट्टरपंथियों की भारी पराजय हुई।

महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001 के अन्तर्गत भारत सरकार ने महिलाओं के विकास हेतु कई योजनाओं का संचालन किया है। जिसमें किशोरी शक्ति योजना, महिला स्वयं सिद्धा योजना, महिला स्वधारा योजना (12 जुलाई, 2001 दोनों) महिला उद्यमियों हेतु योजना (15 अगस्त, 2001), महिला स्वशक्ति योजना एवं राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना (15 अगस्त, 2001), आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है।

अब परिवार में ही वरन समाज में भी नारी को चारदीवारी, पर्दा प्रथा एवं उपेक्षित व्यवहार से बाहर निकालने हेतु प्रेरित एवं उत्साहित किया जा रहा है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि महिलाओं की वह स्थिति जिसके आधार पर यह युक्ति चरितार्थ थी कि– नारी ने जन्म दिया नर को, नर ने उसे बाजार दिया, अब बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। महिलाएं पुरूषों के साथ प्रत्येक क्षेत्र में कन्धे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। इन्होंने अपनी क्षमता से यह सिद्ध कर दिया है कि महिलाएं किसी भी तरह पुरूष से पीछे नहीं है, निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं, कानूनों, कार्यक्रमों एवं सतप्रयासों से एक नये युग का आरम्भ हो चुका है।

उर्दू के प्रसिद्ध शायर साहिर लुधियानवी ने लिखा है –

तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में,
नंगी नचवाई जाती है, अय्याशों के दरबारों में,
ये वो बेइज्जत चीज है, जो बंट जाती है इज्जतदारों में,

औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया,
जब जी चाहा मसला–कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया।

एक अन्य कवि की कविता
एक बेटी रोते हुए अपने पिता से कहती है–

बाबुल मोहे लुहार के घर दीजे, जो मेरी बेड़ी पिघलाये।

संदर्भ

1. कुलश्रेष्ठ, डॉ०एस०पी०. (2007). शैक्षिक तकनीकी के मूल आधार. आगरा. 2.
2. सिंह, डॉ० माया शंकर. (2006). शैक्षिक प्रबंधन एवं डिस्ट्रीब्यूटर. नई दिल्ली।
3. अग्रवाल, जे०सी०. (2007). शैक्षिक तकनीकी प्रबन्धन एवं मूल्यांकन आगरा।
4. जैन, श्रीमति स्वाति. शैक्षिक तकनीकी के तत्व एवं प्रबंध. मेरठ।
5. सक्सैना, एन० आर० स्वरूप., ओबरॉय डॉ० एस० सी०. (2007). भारत में शिक्षा का विकास, मेरठ,
6. भटनागर, डा० एस० स्वरूप., भटनागर, डा० अनुराग. (2016). आर० लाल बुक डिपोः मेरठ।